



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15111

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या- 722/2026

राम कोमल

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : प्रभाकर दूबे

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभाकर दुबे और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे कांस्टेबल रेडियो के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे रेडियो सब-इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था और वह 30.06.2024 को सेवानिवृत्त हुआ था। रिट याचिकाकर्ता का आरोप है कि रिटायरल बेनिफिट्स यानी जीपीएफ का भुगतान नहीं किया गया है।
3. वर्तमान याचिका में प्रार्थना प्रत्यर्थीगण को दावे पर विचार करने के निर्देश के लिए है।
4. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे को पहले बार में दूसरे प्रत्यर्थी वरिष्ठ लेखाकार, निद्दी-12 महालेखाकार (लेखा और पात्रता), आईएसटी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के कार्यालय द्वारा निर्णय की आवश्यकता है।



5. इस तरह के सबमिशन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे शालीनता से स्वीकार करता है।

6. प्रतिद्वंद्वी पक्षों की प्रस्तुतियों के साथ-साथ उनके द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जा रहा है, जिससे रिट याचिकाकर्ता को दूसरे प्रत्यर्थी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने की स्वतंत्रता दी जा रही है, जो दो सप्ताह की अवधि के भीतर रिट याचिका की प्राप्ति पर होगा, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर सख्ती से निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ें। यदि दूसरे प्रत्यर्थी की राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाना है तो कागजात उसी को प्रेषित किए जाएंगे।

7. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका पर प्रत्यर्थीगण से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना निर्णय लिया गया है। इस प्रकार, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि यह न्यायालय मामले के गुण-दोष में चला गया है।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

21 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)